न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 341 सन 2022

अनवान :–

1. अमरगर पुत्र तुलछगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. नरसीगर पुत्र तुलछगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. नोरगर (फोत)
   - 3/1. भूरी पत्नी नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/2. महेन्द्रगर पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/3 पूर्णगर पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/4 सुमीत्रो पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. गुडडी पुत्री तुलछगर पत्नी जगदीश पुरी जाति गुसाई निवासी बशीर तह. टिब्बी
2. केसर (फोत)

   2/1. जैतल 2/2 सावित्री पुत्रीयान केसर जाति गुसाई निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

   2/3 कानगर 2/4 भादरगर पुत्र केसर पत्नी सुलतानगर जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।
3. पूरा (फोत)

   3/1. भवरगर 3/2 पूर्णगर पुत्र पुरा पुत्र रामचन्द्र जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लूणकरणसर जिला चुरू।
4. बीरमा पुत्री पूरा जाति गुसाई निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. गोपीगर (फोत)

   5/1. सरस्वती पत्नी गोपीराम जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लूणकरणसर

   5/2. रणवीरगर 5/3 कृष्णगिर पि0 गोपीराम जाति शेखसर तहसील लुणकरणसर

   5/4 मंजू पुत्री गोपीगर जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लुणकरणसर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हरिसिह अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/7/22

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 210/120 की कुल 2.6560हैक भूमि वर्तमान राजरव रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है मालगर पुत्र तुलछगर लावल्द फोत हो चुका है मालगर पुत्र तुलछगर के कोई भी पुत्र/पुत्री/पत्नी नही है मालगर पुत्र तुलछगर के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके भाई/बहन है

वादीगण की बहनो में से केसर व पुरा का देहान्त हो चुका है पुरा का एक पुत्र गोपीराम का भी देहान्त हो चुका है तथा नोरगर का भी देहानत इसप्रकार मालगर पुत्र तुलछगर के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

वादीगण की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मालगर पुत्र तुलछगर के नाम से दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मालगर पुत्र तुलछगर जो वादीगण का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एव वारिसान को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 210/120 की कुल 2.6560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है मालगर पुत्र तुलछगर लावल्द फोत हो चुका है मालगर पुत्र तुलछगर के कोई भी पुत्र/पुत्री/पत्नी नही है मालगर पुत्र तुलछगर के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके भाई/बहन है

वादीगण की बहनो में से केसर व पुरा का देहान्त हो चुका है पुरा का एक पुत्र गोपीराम का भी देहान्त हो चुका है तथा नोरगर का भी देहानत इसप्रकार मालगर पुत्र तुलछगर के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

वादीगण की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मालगर पुत्र तुलछगर के नाम से दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 210/120 की कुल 2.6560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके भाई मालगर पुत्र तुलदगर के नाम से दर्ज है जो लावल्द फोत हो चुका है वादीगण के भाई लावल्द फोत होने के कारण उसके नाम दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके भाई बहन है तथा मालगर के भाई नोरगगर बहन केसर , पुरा को देहान्त हो चुका है तथा पुरा के एक पुत्र गोपीगर का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो की पुष्टि प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र , सरपंच प्रमाण पत्र एव सजरा खानदान से होती है।

सहायक अधिकारी राजस्व
नोखा

Scanned with CamScanner

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि जो मालगर पुत्र तुलछगर के नाम से दर्ज है जो लावल्द फोत होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो के सम्बध में प्रतिवादीगण को तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई अर्थात प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है।

वादी के वाद के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 210/120 की कुल 2.6560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ,वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एव वादी सख्या 3/1 से 3/4 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमरगर पुत्र तुलछगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
2 नरसीगर पुत्र तुलछगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
3 नोरगर (फोत)
   - 3/1. भूरी पत्नी नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/2. महेन्द्रगर पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/3 पूर्णगर पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर
   - 3/4 सुमीत्रो पुत्र नोरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 गुडडी पुत्री तुलछगर पत्नी जगदीश पुरी जाति गुसाई निवासी बशीर तह. टिब्बी
2 केसर (फोत)

2/1. जैतल 2/2 सावित्री पुत्रीयान केसर जाति गुसाई निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2/3 कानगर 2/4 भादरगर पुत्र केसर पत्नी सुलतानगर जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।

3 पूरा (फोत)

3/1. भवरगर 3/2 पूर्णगर पुत्र पुरा पुत्र रामचन्द्र जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लूणकरणसर जिला चुरू।

4 बीरमा पुत्री पूरा जाति गुसाई निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5 गोपीगर (फोत)

5/1. सरस्वती पत्नी गोपीराम जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लूणकरणसर

5/2. रणवीरगर 5/3 कृष्णगिर पि0 गोपीराम जाति शेखसर तहसील लुणकरणसर

5/4 मंजू पुत्री गोपीगर जाति गुसाई निवासी शेखसर तहसील लुणकरणसर

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 341 सन 2022 निर्णय दिनांक– 19/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 210/120 की कुल 2.6560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालगर पुत्र तुलछगर के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ,वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एव वादी सख्या 3/1 से 3/4 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner